



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग

IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग

C.S.M. Marg,

मुंबई/Mumbai - 400 001

(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

सं./No. 7/2/2012/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/115

मार्च/March 7, 2014

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय : माता-पिता को अस्थायी सीएचएसएस कार्ड जारी करना।

Sub : Issue of Temporary CHSS cards to Parents.

इस विभाग के दिनांक 20.04.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/2/2012/आईआरएंडडब्ल्यू/110 का संदर्भ लें जो माता-पिता को एक वर्ष की अवधि हेतु अर्थात् दिनांक 30.04.2013 तक अस्थायी सीएचएसएस कार्ड जारी करने के संबंध में है, जो कि बाद में पञ्चवि के दिनांक 14.02.2013 के का. ज्ञा. सं. 7/2/2012/आईआरएंडडब्ल्यू/79 के द्वारा 30.04.2014 तक विस्तारित की गई थी।

Reference to this Department's O.M. No. 7/2/2012/IR&W/110 dated 20/04/2012 regarding issue of temporary CHSS cards to Parents for the period of one year i.e. upto 30/04/2013, which was subsequently extended upto 30/04/2014 vide DAE O.M. No. 7/2/2012/IR&W/79 dated 14/02/2013.

उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित किए अनुसार, उक्त सुविधा को एक और वर्ष अर्थात् दिनांक 30/04/2015 तक अथवा संबंधित सीएचएसएस की धारा में संशोधन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाया जाता है।

As stipulated in the above O.M., the said facility is further extended for one more year i.e. upto 30/04/2015 or till the modification in the respective CHSS clause, whichever is earlier.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.

(स्वाति पाण्डेय Swati/Pandey)

निदेशक (आरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सभी सीएचएसएस के प्रशासनिक प्राधिकारी/All CHSS Administering Authorities

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कलपाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी Director, AMD
- (9) निदेशक, आरआरकैट Director, RRCAT
- (10) निदेशक, वीईसीसी Director, VECC
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल Director (HR), NPCIL
- (12) प्रधान, चिकित्सा प्रभाग, भापअकेंद्र Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to :

- (1) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय
O/o chairman, AEC, Secretary, DAE
- (2) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि / PS to Additional Secretary, DAE
- (3) प्रशासनिक अधिकारी (सीएचएसएस), एनएफसी, हैदराबाद - उनके दिनांक
25/01/2014 फैक्स संदेश सं. एनएफसी/सीएचएसएस/04/01/2014 के
संदर्भ में।
Administrative Officer(CHSS), NFC, Hyderabad
- w.r.t. Fax Message No. NFC/CHSS/04/01/2014 dt. 25/1/2014
- (4) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद / Secretary, Staff Side, DC
- (5) महासचिव, एनएफएईई / General Secretary, NFAEE
- (6) प्रशासनिक अधिकारी-III, भापअकेंद्र अस्पताल, भापअकेंद्र
AO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) सहायक निदेशक (राजभाषा), पऊवि / Asst. Director (OL), DAE
- (8) निदेशक, आईएमएससी Director, IMSc.